न्यायालय सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर
राजस्व लोक अदालत : न्याय आपके द्वार केम्प माझावास

पीठासीन अधिकारी– राजलक्ष्मी गहलोत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–55 / 2018 प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए

1. लादु पिता सोहनलाल ब्राह्मण निवासी रायथलियास तह. सहाड़ा भीलवाडा जिला भीलवाडा।

—प्रार्थी

1. सम्पतलाल आत्मज बंशीलाल ब्राह्मण निवासी रायथलियास तह. सहाड़ा भीलवाडा जिला भीलवाडा।
2. प्रभुलाल आत्मज बंशीलाल ब्राह्मण निवासी रायथलियास तह. सहाड़ा भीलवाडा जिला भीलवाडा।
3. मु. सज्जनबाई बेवा बंशीलाल ब्राह्मण निवासी रायथलियास तह. सहाड़ा भीलवाडा जिला भीलवाडा।
4. मोहनलाल आत्मज पन्नालाल ब्राह्मण निवासी रायथलियास तह. सहाड़ा भीलवाडा जिला भीलवाडा।
5. सोमेश्वर आत्मज धर्मचन्द ब्राह्मण निवासी रायथलियास तह. सहाड़ा भीलवाडा जिला भीलवाडा।
6. सुरेश आत्मज धर्मचन्द ब्राह्मण निवासी रायथलियास तह. सहाड़ा भीलवाडा जिला भीलवाडा।
7. प्रकाश आत्मज धर्मचन्द ब्राह्मण निवासी रायथलियास तह. सहाड़ा भीलवाडा जिला भीलवाडा।
8. मु. छोटीदेवी बेवा धर्मचन्द ब्राह्मण निवासी रायथलियास तह. सहाड़ा भीलवाडा जिला भीलवाडा।
9. मु. नानी बेवा श्रीकिशन ब्राह्मण निवासी रायथलियास तह. सहाड़ा भीलवाडा जिला भीलवाडा।**(विलोपित)**
10. उदयलाल आत्मज सोहनलाल ब्राह्मण निवासी रायथलियास तह. सहाड़ा भीलवाडा जिला भीलवाडा।
11. मु. संतोषी पुत्री सोहनलाल ब्राह्मण निवासी रायथलियास तह. सहाड़ा भीलवाडा जिला भीलवाडा।
12. सीतादेवी पत्नी सम्पतलाल ब्राह्मण निवासी रायथलियास तह. सहाड़ा भीलवाडा जिला भीलवाडा।
    (आदेश 1 नियम 10 जा.दी.)

—विपक्षीगण

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए ::

निर्णय दिनांकः– 29.05.2018

:: निर्णय ::

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 के तहत मुकाम माझावास प्रस्तुत हुई। प्रार्थी एवं उसके अधिवक्ता अनुपस्थित। विपक्षी नं. 1 व 12 की और से श्री जगदीश चन्द्र व्यास अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 2 लगायत 8 व 10, 11 बावजूद सूचना अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। विपक्षी संख्या 12 नानी द्वारा अपने हिस्से की कृषि भूमियॉ श्रीमती सीतादेवी पत्नी सम्पतलाल के नाम विक्रय कर दी गई। विपक्षी संख्या 12 नानी का नाम विलोपित किया जाकर प्रार्थिया सीतादेवी को विपक्षी के रूप में पक्षकार बनाया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थीया सीतादेवी का प्रार्थना–पत्र आदेश 1 नियम 10 जा.दी. स्वीकार किया जाता है। विपक्षी संख्या 1 व 12 के अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रामथलियास तह. सहाड़ा के आराजी नं. 221 / 0.11 है. 222 / 0.01 है. गै. मु. आराजी चाह, 223 / 0.14 है. 224 / 0.12 है. 225 / 0.11 है. 315 / 0.05 है. 315 / 1001 रकबा 0.02 है. 316 / 0.05 है. 316 / 1002 रकबा 0.02 है. 317 / 0.07 है. 317 / 1003 रकबा

0.02 है. 318/1004 रकबा 0.02 है. 362/0.21 है. 376/0.41 है. 810/0.11 है. 830/0.70 है. कुल किता 16 रकबा 2.17 है. भूमि प्रार्थी एवं विपक्षीगण के संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड होकर प्रार्थी का 1/15 हिस्सा निहित हैं।

प्रार्थना पत्र की कलम नं. में अंकित आराजियात का राजस्व खाता प्रार्थी एवं विपक्षीगण के सामलाती दर्ज रेकार्ड होकर भूमि संयुक्त रूपे कब्जे में चली आ रही है। उक्त आराजियात का बिना मिट्स एण्ड बोण्डस के आधार पर विभाजन कराये ही विपक्षीगण किसी अजनबी व्यक्ति को रहन बय बक्षीस या अन्य किसी भी तरीके से हस्तान्तरित करने पर आमादा होने से प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला होकर सुविधा सन्तुलन भी प्राथी के पक्ष में है। प्रार्थी ने विपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय की रिलीफ चाही है कि प्रार्थी के पक्ष में विरूद्ध विपक्षीगण ता फैसला मूल बाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें कि प्रा. पत्र. की कलम नं. 1 में अंकित आराजियात का जब तक विधिवत रूप से विभाजन होकर राजस्व खाते पक्षकारान के अलग–अलग दर्ज नहीं हो जावे तब तक विपक्षीगण उक्त आराजियात को किसी अन्य को रहन विक्रय बक्षीस या अन्य किसी तरीके से हस्तान्तरित नहीं करें। मौके व रेकार्ड की यथा स्थिति बनाई रखें।

प्रकरण इस न्यायालय में पंजिबद्ध किया जाकर वर वक्त सुनवाई विपक्षी नं. 1 व 12 की एक तरफा बहस सुनी गई। विपक्षी नं. 1 व 12 के अधिवक्ता ने दौराने बहस न्यायालय का ध्यान इस और दिलाया कि विपक्षीगण बावद ग्रस्त आराजियात के रेकार्डेड खातेदार है। अतः प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला नहीं पाया जाता है इसके अतिरिक्त रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है।

मैनें पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया तथा प्रस्तुत बहस पर मनन किया । 221/0.11 है. 222/0.01 है. गै. मु. आराजी चाह, 223/0.14 है. 224/0.12 है. 225/0.11 है. 315/0.05 है.315/1001 रकबा 0.02 है. 316/0.05 है. 316/1002 रकबा 0.02 है. 317/0.07 है. 317/1003 रकबा 0.02 है. 318/1004 रकबा 0.02 है. 362/0.21 है. 376/0.41 है. 810/0.11 है. 830/0.70 है. कुल किता 16 रकबा 2.17 है. भूमि संयुक्त खातेदारी हक से प्रार्थी एवं विपक्षीगण के नाम पर दर्ज रेकार्ड है। अतः प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला नहीं होकर सुविधा सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं पाये जाने से प्रार्थी का प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए को सिद्ध कराने में असफल रहने से प्रा. पत्र खारिज योग्य पाया जाता है। अतएवं

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए सिद्ध कराने में असफल रहने से खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली मूल वाद के साथ संग्रह की जावें।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा)